रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2002/कार्तिक 15, 1924
No. 241] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2002/KARTIKA 15, 1924

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2002

फा.सं. टीडीबी/प्रशा. 1(7)(30)/02-03.—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अध्यक्ष या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो उप - सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की शक्ति प्रत्यायोजित की जाए, अभिप्रेत है ;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ड) "कर्मचारी" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में तथा दर्शित बोर्ड के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी या सेवक अभिप्रेत है ;

(च) "पद" से क्रमशः अनुसूची 1 और 2 के स्तंभ (3) में जैसा पद समूह "क", समूह "ख", समूह "ग", या समूह "घ" में विनिर्दिष्ट है, के अनुसार समूह "क", समूह "ख", समूह "ग", या समूह "घ" में पद अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से बोर्ड का सचिव है ;

(झ) "सेवा" से बोर्ड के अधीन सेवा अभिप्रेत है ;

(ट) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **लागू होगा** - इन विनियमों में यथा अधिकथित सेवा के निबंधन और शर्तें बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों को लागू होंगी:

परन्तु ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवाएं बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त की गई हैं किसी विचलन की दशा में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा:

परन्तु यह और कि संविदा या सेवाधृति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा जो बोर्ड के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाए।

4. **विद्यमान कर्मचारियों की बाबत उपबंध** - ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इन विनियमों के प्रारम्भ पर बोर्ड के कर्मचारी हैं, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

5. **बोर्ड का सचिव और कर्मचारी** - बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग और उनके वेतनमान अनुसूची (1) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

6. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन, आयुसीमा, भर्ती की पद्धति और अन्य अर्हताएं** - पदों के नाम, उनकी संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, आयुसीमा, अर्हताएं, भर्ती की पद्धति और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें अनुसूची 2 के स्तंभ (1) से (13) में यथ विनिर्दिष्ट होंगी।

7. **नियुक्ति प्राधिकारी** - (1) सचिव के पद पर नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी, जो कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होगा।

2. अन्य सभी नियुक्तियां सचिव द्वारा की जाएंगी।

8. **सचिव और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें** - (1) बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों के वेतनमान अनुसूची (1) के स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्स्थानी वेतनमान के पदों को धारण कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्समय लागू नियम और आदेश और जैसे कि ये स्वायत्त निकायों को लागू होते हैं बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों के भत्ते, छुट्टी, पद ग्रहणकाल, पद ग्रहणकाल वेतन, उपदान, अधिवर्षिता की आयु, चिकित्सीय सुविधाओं की बाबत सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करेंगे।

(3) बोर्ड के सचिव और कर्मचारी समय - समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सरकार के अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होंगे।

(4) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थनांतरण के अधीन आने वाले सचिव और कर्मचारी उनके मूल संगठन में उनको यथा लागू अंशदायी भविष्य निधि नियमों या साधारण भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित बने रह सकेंगे।

(5) वेतनमान का पुनरीक्षण, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

9. **आचरण, अनुशासन और शास्तियां** - (1) केन्द्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 नियम बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के भाग IV (निलंबन), भाग V (शास्ति और अनुशसन प्राधिकारी), भाग VI (शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया), भाग VII (अपील) और भाग VIII (पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन) बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

परन्तु इस विनियम के प्रयोजनों के लिए:

(क) बोर्ड में समूह "क", समूह "ख", समूह "ग", और समूह "घ" पद क्रमशः सिविल सेवा समूह "क", समूह "ख", समूह "ग", और समूह "घ" पदों के सदृश होंगे ;

(ख) इन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी सचिव होगा, और अध्यक्ष सचिव और वैज्ञानिक "छ" के मामले के सिवाय अपील प्राधिकारी होगा ;

(ग) सभी मामलों में जिनमें बोर्ड पुनर्विलोकन प्राधिकारी है सचिव और वैज्ञानिक "छ" के मामले के सिवाय अध्यक्ष को पुनरीक्षण की शक्ति होगी

(घ) बोर्ड में कार्यरत केन्द्रीय या राज्य सरकार के सेवकों की बावत केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 20 और नियम 21 के उपबंध लागू होंगे और बोर्ड इन दोनों नियमों के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार के कृत्यों का पालन करेगा।

10. **व्यावृत्ति** - इना विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

12. **वे मामले जिनकी बावत कोई उपबंध नहीं किए गए हैं** बोर्ड के सचिव और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित ऐसे मामलों की बावत जिनके लिए इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

अनुसूची - 1

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में पद और वेतनमान

(विनियम 2 (ड) और (च), विनियम 4,5 और 8 (I) देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सचिव	क	18400-500-22400 रुपए
2.	वैज्ञानिक 'छ'	क	18400-500-22400 रुपए
3.	वैज्ञानिक 'च'	क	16400-450-20000 रुपए
4.	वैज्ञानिक 'ड'	क	14300-400-18300 रुपए
5.	वैज्ञानिक 'घ'	क	12000-375-16500 रुपए
6.	निदेशक	क	14300-400-18300 रुपए
7.	उप - सचिव	क	12000-375-16500 रुपए
8.	उप - विधि सलाहकार	क	12000-375-16500 रुपए
9.	अवर सचिव	क	10000-325-15200 रुपए
10.	प्रधान निजी सचिव	क	10000-325-15200 रुपए
11.	लेखा अधिकारी	ख	7500-250-12000 रुपए
12.	सहायक लेखा अधिकारी	ख	6500-200-10500 रुपए
13.	अनुभाग अधिकारी	ख	6500-200-10500 रुपए
14.	कार्यकारी सहायक	ख	5500-175-9000 रुपए
15.	निजी सहायक	ख	5500-175-9000 रुपए
16.	निम्न श्रेणी लिपिक	ग	3050-75-3950-80-4590 रुपए
17.	स्टाफ कार ड्राइवर	ग	3050-75-3950-80-4590 रुपए
18.	संदेशवाहक	घ	2550-55-2660-60-3200 रुपए

अनुसूची - 2

[नियम 2 (च) और 6 देखिए]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गी-करण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. सचिव	01 (2002)	समूह 'क'	18400 - 500 - 22400 रु	लागू नहीं होता	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर संविदा द्वारा दोनों के न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/ कांट्रेक्ट/ आमेलन। I. प्रबंधक/कार्यपालक (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट/कम्पनी सेक्रेटरी की योग्यता सहित स्नातक हो अथवा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/वित्त में स्नातकोत्तर ; अथवा (ii) वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंक/निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी में सदृश पद धारित करते हों; तथा (iii) वेन्चर कैपिटल/निवेश वित्त प्रबंध में किसी उत्तरदायी स्थिति में पांच वर्ष का अनुभव। II. ऐसा वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद जो - (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ स्वशासी निकाय/ उद्योग में सदृश पद धारण कर रहा हो। (ii) विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी संबंधित विषय में स्नातक हो। अतिरिक्त अपेक्षाताएं (क) प्रौद्योगिकी वित्त प्रबंध/ प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण पर उत्तरदायी स्थिति में पांच वर्ष का अनुभव। (ख) वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकी विकासक/प्रौद्योगिकी अंतरक/ प्रौद्योगिकी संवर्धक अधिमान्य होंगे। टिप्पण: 1. एक वर्ष का बोर्ड में अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक जी की भी इस पद पर नियुक्ति हो सकती है	चयन समिति: अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अध्यक्ष के रूप में और चार सदस्य बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिनमें से कम से कम दो सदस्य बोर्ड से बाहर के होंगे।

											2.प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी, जिसमें इस नियुक्ति के ठीक पहले उसी संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित गैर संवर्गीय पद पर नियुक्ति भी शामिल है। अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	

2. वैज्ञानिक 'जी'/ वैज्ञानिक 'एफ'/ वैज्ञानिक 'ई'/ वैज्ञानिक 'डी'	03* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है	समूह 'क'	18400-500-22400 रुपए या 16400-450-20000 रुपए या 14300-400-18300 रुपए या 12000-375-16500 रु.* बोर्ड के अनुमोदन के अध्याधीन समुचित वेतनमान में नियतन	लागू नहीं होता	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू होता है	एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर संविदा द्वारा दोनों के न हो सकने पर आमेलन द्वारा। प्रतिनियुक्ति पर (i) निम्नतर पदों में कार्यरत वैज्ञानिकों के संबंध में भी बोर्ड में अगली उच्चतर श्रेणी के लिए विचार किया जाएगा। (ii) श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक(डी) से वैज्ञानिक (ई)केपद पर (iii) श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक (ई) से वैज्ञानिक (एफ) के पद पर (iv) श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक (एफ) वैज्ञानिक से(जी) के पद पर विज्ञान में स्नातकोत्तर या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी संबंधित विषय में स्नातक अतिरिक्त अपेक्षाएं : प्रौद्योगिकी वित्त प्रबंध/प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण पर उत्तरदायी स्थिति में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी जिसमें इस नियुक्ति के ठीक पहले उसी संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित गैर संवर्गीय पद पर नियुक्ति भी शामिल है। अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	प्रतिनियुक्ति/ कांट्रेक्ट/ आमेलन (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ उद्योग/ स्वायत्तशासी निकाय में सदृश पद धारण कर रहा हो।	चयन समिति: अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अध्यक्ष के रूप में और चार और सदस्य बोर्ड द्वारा बोर्ड के भीतर/बाहर के नियुक्त किए जाएंगे।

3. निदेशक या उपसचिव	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	निदेशक - 14300 -400- 18300 रुपए उप - सचिव - 12000 - 375 - 16500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन। नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केन्द्रीय सिविल सेवा (समूह 'क' / संगठित लेखा सेवा के अधिकारी	लागू नहीं होता
4. उप विधि सलाहकार	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	12000 - 375 - 16500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/ आमेलनप्रतिनियुक्ति - किसी सरकारी विभाग में नियमित आधार पर आठ वर्ष के अनुभव वाले सहायक विधि सलाहकार या समतुल्य पद पर नियुक्त अधिकारी आमेलन - नियमित आधार पर तीन वर्ष के अनुभव वाले सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी	आमेलन के लिए चयन समिति: अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अध्यक्ष के रूप में और चार सदस्य बोर्ड द्वारा बोर्ड के भीतर/बाहर से नियुक्त किए जाएंगे
5. अवर सचिव	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	10000 - 325 - 15200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। किसी सरकारी विभाग/स्वायत्तशासी निकाय में सदृश पद धारण करने वाले या नियमित आधार पर अगले निम्न पद पर तीन वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी।	लागू नहीं होता
6. प्रधान निजी सचिव	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	10000 - 325 - 15200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। किसी सरकारी विभाग/ स्वशासी निकाय में सदृश पद धारण करने वाले या नियमित आधार पर अगले निम्न पद पर तीन वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी	लागू नहीं होता
7. लेखा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	लेखा अधिकारी - 7500 - 250 - 12000 रुपए सहायक लेखा अधिकारी - 6500 - 200 - 10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। नियमित आधार पर तीन वर्ष का अनुभव वाले सदृश पद धारण करने वाले संगठित लेखा विभाग के अधिकारी	लागू नहीं होता

8. अनुभाग अधिकारी	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	6500 - 200 - 10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सदृश पद धारण करने वाले या नियमित आधार पर पांच वर्ष के अनुभव वाले संगठित लेखा विभाग में वैसे ही पद धारण करने वाले अधिकारी	लागू नहीं होता
9. कार्यकारी सहायक	03 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	5500 - 175 - 9000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	21 से 35 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ii) समान स्थिति में सरकारी विभाग/ स्वशासी निकाय में आठ वर्ष कार्य का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सदृश पद धारण करने वाले या नियमित आधार पर तीन वर्ष के अनुभव वाले संगठित लेखा विभाग में वैसे ही पद धारण करने वाले अधिकारी	लागू नहीं होता
10. निजी सहायक	03 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	5500 - 175 - 9000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	21 से 35 वर्ष के बीच	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ख) टंकण का ज्ञान - न्यूनतम 45 शब्द प्रति मिनट (ग) आशुलेखन का ज्ञान- न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट (घ) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान, (ङ) इससे समान क्षेत्र में पूर्व अनुभव एक अतिरिक्त योग्यता होगी।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति/आमेलन। पांच वर्ष के वैसे ही कार्य का अनुभव रखने वाले सरकारी विभाग में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति	लागू नहीं होता
11. निम्न श्रेणी लिपिक	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	21 से 35 वर्ष के बीच	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ख) टंकण/कम्प्यूटर लेखन का ज्ञान अधिमान्य होगा।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष	संविदा/सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

12. स्टाफ कार चालक	01 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह "ग"	3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 रुपए (साधारण श्रेणी "ग")	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	23 से 30 वर्ष के बीच। उपरी आयु सीमा विभागीय अभ्यार्थी के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: 1- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)! टिप्पण: 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, मोटर की मशीनों का ज्ञान और कम से कम तीन वर्ष के लिए मोटर चालन का अनुभव वांछनीय है। आठवां दर्जा उत्तीर्ण। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तभी शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो साल	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	आमेलन द्वारा: स्तंभ (8) में उल्लेखित योग्यता रखने वाले विभाग के समूह 'घ' कर्मचारियों में से स्टाफ कार चालन में अनिवार्य समझी गई योग्यता के मानक के प्रतिनिर्दिष्ट से उस पद के लिए उपयुक्तता के न्याय निर्धारण के लिए ली गई चालन परीक्षा के परिणाम के आधार पर। सीधे भर्ती के लिए- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से मांगे गए आवेदन द्वारा और उपरोक्त शर्तों को पुरा करने पर। प्रतिनियुक्ति: भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्टाफ कार साधारण श्रेणी के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति।	लागू नहीं होता

13. संदेशवाहक	02 * (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'घ'	2550 - 55 - 2660 - 60 - 3200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण 1- आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) आठवां दर्जा उत्तीर्ण (ख) साइकिल चलाना जानता हो	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/180/02]

एस.के. गुप्ता, सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(Technology Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2002

F. No. TDB/Admn. 1(7)(30)/02-03.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 22, read with sub-section(2) of section 4 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Technology Development Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Technology Development Board (Terms and conditions of service of the Secretary and employees) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);

(b) **"appointing authority"** means the Chairperson or any other officer not below the rank of a Deputy Secretary to whom the power of appointment may be delegated by the Chairperson;

(c) "**Board**" means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) **"Chairperson"** means the Chairperson of the Board;

(e) **"employee"** means any officer or servant appointed as a staff of the Board as shown in column (2) of Schedule - I;

(f) **"post"** means a post in Group "A", Group "B", Group "C", or Group "D" according as such post is specified in Group "A", Group "B", Group "C", or Group "D" as the case may be, in column (3) of Schedule – I and II respectively;

(g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these regulations;

(h) **"Secretary"** means the Secretary of the Board;

(i) **"Service"** means service under the Board;

(j) all other words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. **Application.-** The terms and conditions of service as laid down in these regulations shall be applicable to the Secretary and employees of the Board:

Provided that an employee whose services are obtained on deputation by the Board shall be governed by the terms and conditions as specified by the Central Government for its employees in this behalf subject to the approval of the Central Government in case of any deviation:

Provided further that a person appointed on contract or on tenure basis shall be governed by such terms and conditions as may be decided by the Chairperson with the approval of the Board.

4. **Provisions with respect to existing employees.-** All persons who are employees of the Board at the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts specified in Schedule - I.

5. **Secretary and employees of the Board.-** The nature and categories of the Secretary and employees of the Board and the scales of pay thereof shall be as specified in Schedule – I.

6. **Number, Classification, Scale of Pay, Age-limit, Method of Recruitment and other Qualifications.-** The name of the posts, their number, classification, scale of pay, age-limits, qualifications, the method of recruitment and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (1) to (13) of Schedule – II.

7. **Appointing Authority.-** (1) The appointment to the post of Secretary shall be made by the Board, who shall be an officer at least of the level of Joint Secretary to the Government of India.

(2) All other appointments shall be made by the Secretary.

8. **Pay, allowances, leave and other conditions of service of the Secretary and employees.-** (1)The scale of pay of the Secretary and employees of the Board shall be as specified in column (4) of Schedule - I.

(2) The rules and orders for the time being in force applicable to the officers and other employees, holding posts of corresponding scale of pay under the Central Government, and as applicable to the autonomous bodies, shall regulate the conditions of service in respect of allowance, leave, joining time, joining time pay, gratuity, age of superannuation, medical facilities and other conditions of service of the Secretary and employees of the Board.

(3) The Secretary and employees of the Board shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules of the Central Government as amended from time to time.

(4) The Secretary and employees coming under transfer or transfer on deputation, may continue to be governed by the Contributory Provident Fund Rules or General Provident Fund Rules as applicable to them in their parent organisation.

(5) The revision of pay scales, if any, shall be made with the prior approval of the Central Government.

9. **Conduct, discipline and penalties.-** (1) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, shall mutatis mutandis apply to the Secretary and employees of the Board.

(2) Part IV (Suspension), Part V (Penalties and Disciplinary Authorities), Part VI (Procedure for imposing penalties), Part VII (Appeals) and Part VIII (Revision and Review) of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules 1965, shall mutatis mutandis apply to the Secretary and employees of the Board.

Provided that for the purposes of this regulation:

(a) Group A, Group B, Group C and Group D posts in the Board shall correspond to the Central Civil Services Group A, Group B, Group C and Group D posts respectively;

(b) Disciplinary Authority in these cases shall be the Secretary, and the Chairperson shall be the Appellate Authority except in the case of Secretary and Scientist 'G' ;

(c) the Chairperson shall have the power of revision in all cases except in the case of Secretary and Scientist 'G' wherein the Board shall be the Reviewing Authority;

(d) in respect of the Central or State Government servants working in the Board, the provisions of rules 20 and 21 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply and the Board shall exercise the functions of the Central or State Government, as the case may be, for the purposes of these two rules.

10. **Savings.-** Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other backward classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. **Power to relax.-** Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

12. **Matters with respect to which no provision has been made.-** Matters relating to the conditions of service of the Secretary and employees of the Board with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decision.

SCHEDULE - I

Posts in the Technology Development Board and scales of pay
[see regulations 2(e) and (f), 4, 5 and 8(1)]

S.No.	Name of the post	Classification Group	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Secretary	A	Rs.18400-500-22400.
2.	Scientist 'G'	A	Rs.18400-500-22400.
3.	Scientist 'F'	A	Rs.16400-450-20000.
4.	Scientist 'E'	A	Rs.14300-400-18300.
5.	Scientist 'D'	A	Rs.12000-375-16500.
6.	Director	A	Rs.14300-400-18300.
7.	Deputy Secretary	A	Rs.12000-375-16500.
8.	Deputy Legal Adviser	A	Rs.12000-375-16500.
9.	Under Secretary	A	Rs.10000-325-15200.
10.	Principal Private Secretary	A	Rs.10000-325-15200.
11.	Accounts Officer	B	Rs.7500-250-12000.
12.	Assistant Accounts Officer	B	Rs.6500-200-10500.
13.	Section Officer	B	Rs.6500-200-10500.
14.	Executive Assistant	B	Rs.5500-175-9000.
15.	Personal Assistant	B	Rs.5500-175-9000.
16.	Lower Division Clerk	C	Rs.3050-75-3950-80-4590.
17.	Staff Car Driver	C	Rs.3050-75-3950-80-4590.
18.	Messenger	D	Rs.2550-55-2660-60-3200.

SCHEDULE - II

[see regulations 2(f) and 6]

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Whether the benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Mode of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by transfer on deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In the case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Secretary	01 (2002)	Group 'A'	Rs.18400-500-22400.	Not applicable	Yes.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation failing which by contract and Failing both by absorption.	Deputation / contract/ absorption. 1. Manager / Executive (i) holding a university degree with Chartered Accountant / Cost Accountant / Company Secretary qualification; or Masters degree in Business Administration / Finance; or (ii) holding analogous post in Financial Institution / Commercial Bank/ Private or Public Sector Company; and (iii)having five years experience in a responsible position in venture capital / investment, financing.	Selection Committee: Chairperson, Technology Development Board as Chairperson and four more members to be appointed by the Board from out of which at least two members shall be from outside the Board

2. Scientist 'G' / Scientist 'F' / Scientist 'E' / Scientist 'D'	03 * (2002) * subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Rs.18400-500-22400 or Rs.16400-450-20000 or Rs.14300-400-18300 or Rs.12000-375-16500. * * Fixation of appropriate scale of pay subject to the approval by the Board.	Not applicable.	Yes	Not applicable.	Not applicable.	Applicable.	One year	Deputation failing which by contract and failing both by absorption. By deputation from (i)Scientists working in lower grades shall be considered for the next higher grade in the Board, or (ii) Scientist D to Scientist E having five years regular service in the grade, or (iii)Scientist E to Scientist F having five years regular service in the grade, or (iv)Scientist F to Scientist G having five years regular service in the grade and having Post-Graduate in Science or Graduate in Engineering or technology related subject. Additional requirements : Three years experience in responsible position on technology financing / technology commerciali-sation. Note: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immedia-tely preceding this appoint-ment in the same or some other organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.	Deputation / contract / absorption. Scientist / Technologist holding analogous post in Central Government / State Government / Autonomous bodies / Industry.	Selection Committee: Chairperson, Technology Development Board as Chairperson and four more members to be appointed by the Board from within / outside the Board.

2. Scientist 'G' / Scientist 'F' / Scientist 'E' / Scientist 'D'	03 * (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Rs.18400-500-22400 or Rs.16400-450-20000 or Rs.14300-400-18300 or Rs.12000-375-16500 * * Fixation of appropriate scale of pay subject to the approval by the Board.	Not applicable.	Yes	Not applicable	Not applicable.	Applicable.	One year	Deputation failing which by contract and failing both by absorption. By deputation from (i)Scientists working in lower grades shall be considered for the next higher grade in the Board, or (ii) Scientist D to Scientist E having five years regular service in the grade, or (iii)Scientist E to Scientist F having five years regular service in the grade, or (iv)Scientist F to Scientist G having five years regular service in the grade and having Post-Graduate in Science or Graduate in Engineering or technology related subject. Additional requirements : Three years experience in responsible position on technology financing / technology commerciali-sation. Note: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immedia-tely preceding this appoint-ment in the same or some other organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.	Deputation / contract / absorption. Scientist / Technologist holding analogous post in Central Government / State Government / Autonomous bodies / Industry.	Selection Committee: Chairperson, Technology Development Board as Chairperson and four more members to be appointed by the Board from within / outside the Board.

3 Director or Deputy Secretary	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Director - Rs.14300-400-18300. Deputy Secretary - Rs.12000-375-16500.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Officers of the Central Civil Services (Group A) / organised Accounts Service holding analogous post on regular basis.	Not applicable.
4 Deputy Legal Adviser	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Rs.12000-375-16500.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Deputation - Officers holding post of Assistant Legal Adviser or equivalent with eight years experience on regular basis in any Government Department. Absorption - Officers holding analogous post with three years experience on regular basis.	Selection Committee for absorption : Chairperson, Technology Development Board as Chairperson and four members to be appointed by the Board from within / outside the Board.
5 Under Secretary	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Rs.10000-325-15200.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Officers holding analogous post or holding a post of immediate lower grade with three years experience on regular basis in any Government Department / Autonomous body.	Not applicable.

6. Principal Private Secretary	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Rs.10000-325-15200.	Not applicable.	Not applicable	Not appli-cable	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Officers holding analogous post or holding a post of immediate lower grade with three years experience on regular basis in any Government Department / Autonomous body.	Not applicable.
7. Accounts Officer or Assistant Accounts Officer	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Accounts Officer - Rs.7500-250-12000. Assistant Accounts Officer - Rs.6500-200-10500.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Officers of the organised accounts department holding analogous post having three years experience on regular basis.	Not applicable.
8. Section Officer	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Rs.6500-200-10500.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Not applicable.	Not applicable.	Not appli-cable.	Deputation failing which by absorption.	Deputation / absorption. Officer holding analogous posts in Central Secretarial Service or holding similar posts in the organised Accounts Department having five years experience on regular basis.	Not applicable.

9. Executive Assistant	03* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Rs.5500-175-9000.	Not applicable.	Not applicable.	Between 21 to 35 years.	(i) Graduate from any recognised University, (ii) eight years work experience in Government Department / autonomous bodies in a similar position.	Not applicable.	One year for direct recruits.	Transfer on deputation / absorption / direct recruitment	Deputation / absorption. Officer holding analogous posts in Central Secretariat Service or holding similar posts in the organised Accounts Department having three years experience on regular basis.	Not applicable.
10. Personal Assistant	03* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Rs.5500-175-9000.	Not applicable.	Not applicable.	Between 21 to 35 years.	(a)Graduate from any recognised University, (b)Knowledge of typewriting - minimum 45 words per minute, (c)Knowledge of shorthand – minimum 100 words per minute, (d)Knowledge of computer operations, (e)Previous experience in the same field is an additional qualification	Not applicable.	One year for direct recruits.	Transfer on deputation / absorption / direct recruitment.	Transfer on deputation / absorption: Persons holding analogous posts in Government Departments having similar work experience of five years.	Not applicable.
11. Lower Division Clerk	01* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'C'	Rs.3050-75-3950-80-4590.	Not applicable.	Not applicable.	Between 21to 35 years.	(a)Graduate from any recognised University. (b)Knowledge of typewriting / computer application preferable.	Not applicable.	One year for direct recruits	Contract / Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

12. Staff Car Driver	01* (2002) * subject to variation dependent on work-load.	Group "C"	Rs.3050-75-3950-80-4590. (Ordinary Gr., "C")	Not applicable.	Not applicable.	Between 23 to30 years. Upper age-limit is relaxable upto 35 years for Departmental candidates Note.1 - The crucial date for determining the age limit shall be on the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep) Note-2. In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the agelimit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Possession of valid driving licence for motorcar, knowledge of motor machines and experience of driving a motorcar for atleast three years desirable. Eighth standard pass. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe. If at any stage selection, Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of applicants from these communities, possessing of requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years.	Transfer on deputation / absorption / direct recruitment.	By absorption: On the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standard of competence considered essential in driving of staff car from amongst Group "D" employees of the Department possessing qualification mentioned in column (8) For Direct recruit by calling application through employment exchanges and satisfying the above conditions. By transfer on deputation Persons holding the posts of staff car driver ordinary grade in the Ministries Departments of the Government of India.	Not applicable

13. Messenger	02* (2002) * subject to variation dependent on work load.	Group 'D'	Rs.2550-55-2660-60-3200.	Not applicable.	Not applicable.	Between 18 to 25 years. Note - 1. The crucial date for determining the age-limit shall be on the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep) Note-2. In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(a)Eighth standard pass (b)Must know cycling	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

[Advt.-3/4/Exty./180/02]

S.K. GUPTA, Secy.